न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 146/2018/225 आरटीए

1. राकेश पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी गांव घमूडवाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. महावीर पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी गांव घमूडवाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. रणवीर पुत्र पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी गांव घमूडवाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. रेशमा देवी पत्नि पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी गांव घमूडवाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
5. औमप्रकाश पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी गांव घमूडवाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
6. गुड्डी देवी पुत्री श्योलाल जाति जाट निवासी गांव घमूडवाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
7. इन्द्रा पुत्री श्योलाल जाति जाट निवासी गांव घमूडवाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
8. राधा पुत्री श्योलाल जाति जाट निवासी गांव घमूडवाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
9. सुलोचना पुत्री श्योलाल जाति जाट निवासी गांव घमूडवाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
10. रणजीत पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी गांव घमूडवाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
11. बृजमोहन पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी गांव घमूडवाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
12. सावित्री देवी पत्नि गोवर्धन जाति जाट निवासी गांव घमूडवाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
13. दिनेश कुमार पुत्र गोवर्धन जाति जाट निवासी गांव घमूडवाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
14. दुर्गा पुत्री गोवर्धन जाति जाट निवासी गांव घमूडवाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलान्टस

—: बनाम :—

1. योगराज पुत्र काहनाराम जाति जाट निवासी गांव घमूडवाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. देवीलाल पुत्र काहनाराम जाति जाट निवासी गांव घमूडवाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार पदमपुर।

———रेस्पोडेंटस

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 27.10.2017 न्यायालय उपखण्डाधिकारी पदमपुर

प्रकरण संख्या 5/2017 अनवानी योगराज आदि बनाम महावीर आदि

उपस्थित :–

श्री वरेन्द्र गुप्ता अधिवक्ता अपीलाण्टस

श्री खुशप्रीत सिंह संधू अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 व 2

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3

निर्णय दिनांक –23.07.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) आरटीए प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 2 पीपी के मुरब्बा नम्बर 49 के कि.न. 1 ता 4 व इसी मुरब्बा के कि.न 8, 9, 12 दर्ज कागजात है जिसमे आने जाने के लिये अप्रार्थीगण/अपीलांट की भूमि मुरब्बा नं. 50 के कि.न. 1 ता 5 मे दक्षिणी दिशा मे 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावे जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण/अपीलांट को तलब कर जवाब प्राप्त किया तथा तहसीलदार पदमपुर से रिपोर्ट प्राप्त कर विधि विरूद्ध तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया, जिससे व्यथित होकर अपीलांटस ने यह अपील न्यायालय अपील राजस्व अपील श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की। पत्रावली राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर से माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 23.04.2018 की पालना मे न्यायालय हाजा को स्थानान्तरण होकर प्राप्त हुई। पक्षकारान को तलब किया गया।
2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलांटस के पास कुल 9 बीघा रकबा है और उक्त रकबा के 14 काश्तकार है पूर्व मे ही एक रास्ता व खाला उक्त रकबा मे स्वीकृत है। इसकी बजाये अगर मुरब्बा नं. 48 के कि.न. 1 मे से अगर 1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत कर दिया जाता है तो अपीलांटस को कोई एतराज नही है, मुरब्बा नं. 48 के चिपती हुई पक्की सड़क डामर रोड़ बनी हुई है। रेस्पो0 के रकबा के लिये सबसे छोटा व सुगम रास्ता मुरब्बा नं. 48 व 49 मे से ही है इस तथ्य की ओर ध्यान न देकर अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार पदमपुर से रास्ते बाबत नक्शा सहित रिपोर्ट तलब की, तहसीलदार पदमपुर द्वारा दिनांक 07.06.17 को अधीनस्थ न्यायालय मे रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमे स्पष्ट रूप से लिखा है कि विवादित रास्ता की बजाये प्रार्थीगण/रेस्पो0 की भूमि मे सबसे सुगम व नजदीक रास्ता

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मुरब्बा नं. 48 के कि.न. 1 व मुरब्बा नं. 49 के कि.न. 5 मे से रास्ता है और यही रास्ता दिया जाना उचित है क्योंकि चक 2 पीपी के नहर के पश्चिमी साईड मे नहर की सीमा मे पक्की सड़क मौका पर चल रही है अतः चक 2 पीपी के मुरब्बा नं. 49 के कि.न. 1 ता 4 व 8, 9, 13 के रकबा के लिये मु.न. 50 के कि.न. 1 ता 5 के दक्षिणी साईड की बजाये मुरब्बर नं. 48 के कि.न. 1 व मुरब्बा नं. 49 के कि.न. 5 मे रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है। इस तथ्य की ओर ध्यान देकर अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार घमूडवाली से चक 1 पीपी की सड़क का निर्माण कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया गया है जिस कारण उक्त सड़क सार्वजनिक है व रिपोर्ट पटवारी से भी सड़क चालू होना स्पष्ट है। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 251क आरटीए के प्रावधानो का नजरअंदाज किया है। धारा 251 क आरटीए की मंशा है कि हर खेत को रास्ता दिया जाना उचित है लेकिन जो रास्ता जिस भूमि के लिये दिया जावे सबसे सुगम और निकटतम रास्ता स्वीकृत किया जावे। इस प्रावधान की ओर ध्यान न देकर अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है। कम दूरी का का मार्ग उपलब्ध है तब लम्बी दूरी का मार्ग स्वीकृत नही करना चाहिए। मौजूदा प्रकरण मे स्पष्टतय कम दूरी का मात्र 1½ बीघा दूरी का रास्ता उपलब्ध था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने लम्बी दूरी का यानि 5 बीघा लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जो कतई गलत है। अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 द्वारा चक 2 पीपी के मुरब्बा नं. 49 मे आने जाने के लिये मुरब्बा नं. 50 के कि.न. 1 ता 5 के दक्षिणी दिशा मे रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष चाहा गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुरब्बा नं. 50 के कि.न. 1 ता 5 के उतरी दिशा मे रास्ता स्वीकृत किया है। उत्तरी दिशा मे रास्ता स्वीकृत करने की कोई मांग ना होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित कर कानूनी भूल की है।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे जो रास्ता स्वीकृत करने का आदेश दिया है वह रास्ता कभी भी चालू नही रहा तथा निर्णय मे कथित रास्ता के अलावा छोटा रास्ता मुरब्बा नं0 48 के कि.न. 1 व मुरब्बा नं. 49 के कि.न. 5 मे से है, इस तथ्य की और ध्यान न देकर अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है। अधिवक्ता अपीलांटस ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरटी 2016(1) पेज 440, आरबीजे 2017 पेज 687, आरआरडी 2017 पेज 294 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे, विकल्प मे मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित किया जावे कि वे मुरब्बा नं. 49 कि.न. 5 के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

काश्तकारो को नोटिस जारी कर पक्षकारान की उपस्थिति मे मौका देखे तथा धारा 251ए के प्रावधानो की पालना करते हुये लघुतम व निकटतम रास्ता स्वीकृत किया जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) आरटीए प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 2 पीपी के मुरब्बा नम्बर 49 के कि.न. 1 ता 4 व इसी मुरब्बा के कि.न 8, 9, 12 दर्ज कागजात है जिसमे आने जाने के लिये अप्रार्थीगण/अपीलांट की भूमि मुरब्बा नं. 50 के कि.न. 1 ता 5 मे दक्षिणी दिशा मे 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किये जाने का अनुतोष चाहा जिस पर अप्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र, तहसीलदार पदमपुर से रिपोर्ट एवं स्वयं द्वारा किये गये मौका निरीक्षण के आधार पर चक 2 पीपी के मु.न. 50 के कि.न. 1 ता 5 मे दक्षिणी दिशा के स्थान पर चक 2 पीपी के मु.न. 50 के कि.न. 1 ता 5 मे उतरी दिशा मे स्वीकृत किया गया जो सही है। अपीलांट का यह तर्क कि चक 2 पीपी के मुरब्बा नं. 48 के कि.न. 1 मे से अगर 1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत कर दिया जाता है तो अपीलांटस को कोई एतराज नही है, मुरब्बा नं. 48 के चिपती हुई पक्की सड़क डामर रोड़ बनी हुई है। रेस्पो0 के रकबा के लिये सबसे छोटा व सुगम रास्ता मुरब्बा नं. 48 व 49 मे से ही है इस तथ्य की ओर ध्यान न देकर अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है, कतई गलत व आधार हीन है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वैकल्पिक रास्ता के संबंध मे मौका निरीक्षण करने के उपरांत विस्तृत विवेचन करते हुए वैकल्पिक रास्ता मे टयूबवैल होने के कारण उक्त मुरब्बो रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित नही होना मानते हुए तथा रेस्पो0 द्वारा चाहे गये रास्ते से अप्रार्थीगण/अपीलांटस की भूमि के दो टुकडे होने के तथ्य को मध्यनजर रखते हुए चक 2 पीपी के मु.न. 50 के कि.न. 1 ता 5 मे दक्षिणी दिशा के स्थान पर चक 2 पीपी के मु.न. 50 के कि.न. 1 ता 5 मे उतरी दिशा मे रास्ता स्वीकृत किया गया है जो विधिसम्मत है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस के अन्त मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पर कथन करते हुए प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात अपील के निस्तारण मे अत्यन्त सुसंगत दस्तावेज है इसलिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार कर संलग्न दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जावे। अतः अपील अपीलांटस खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

6. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. 3 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) आरटीए प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मे आने जाने के लिये अप्रार्थीगण/अपीलांट की भूमि मुरब्बा नं. 50 के कि.न. 1 ता 5 मे दक्षिणी दिशा मे 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र, तहसीलदार पदमपुर से रिपोर्ट एवं स्वयं द्वारा किये गये मौका निरीक्षण के आधार पर चक 2 पीपी के मु.न. 50 के कि.न. 1 ता 5 मे दक्षिणी दिशा के स्थान पर चक 2 पीपी के मु.न. 50 के कि.न. 1 ता 5 मे उतरी दिशा मे स्वीकृत किया गया। अपीलाधीन आदेश के संबंध मे अपीलांटस का मुख्य तर्क यह है कि ''मुरब्बा नं. 48 के कि.न. 1 मे से अगर 1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत कर दिया जाता है तो अपीलांटस को कोई एतराज नही है, मुरब्बा नं. 48 के चिपती हुई पक्की सड़क डामर रोड़ बनी हुई है। रेस्पो0 के रकबा के लिये सबसे छोटा व सुगम रास्ता मुरब्बा नं. 48 व 49 मे से ही है इस तथ्य की ओर ध्यान न देकर अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है। तहसीलदार पदमपुर की रास्ते बाबत नक्शा सहित रिपोर्ट के अनुसार विवादित रास्ता की बजाये प्रार्थीगण/रेस्पो0 की भूमि मे सबसे सुगम व नजदीक रास्ता मुरब्बा नं. 48 के कि.न. 1 व मुरब्बा नं. 49 के कि.न. 5 मे से रास्ता है और यही रास्ता दिया जाना उचित है क्योंकि चक 2 पीपी के नहर के पश्चिमी साईड मे नहर की सीमा मे पक्की सड़क मौका पर चल रही है। इस तथ्य की ओर ध्यान देकर अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है। रेस्पो0 को कम दूरी का का मार्ग उपलब्ध है तब लम्बी दूरी का मार्ग स्वीकृत नही करना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 द्वारा चक 2 पीपी के मुरब्बा नं. 49 मे आने जाने के लिये मुरब्बा नं. 50 के कि.न. 1 ता 5 के दक्षिणी दिशा मे रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष चाहा गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुरब्बा नं. 50 के कि.न. 1 ता 5 के उतरी दिशा मे रास्ता स्वीकृत किया है। उत्तरी दिशा मे रास्ता स्वीकृत करने की कोई मांग ना होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित कर कानूनी भूल की है।'' जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश तथा प्रकरण मे उपखण्ड अधिकारी पदमपुर स्वयं द्वारा किये गये मौके निरीक्षण से यह साबित होता है कि रेस्पो0/प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि चक 2 पीपी के मु.न. 49 के कि.न .1 ता 4, 8, 9, 12, 13 मे आने जाने के लिये कोई रास्ता उपलब्ध नही है। तहसीलदार पदमपुर एवं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलांटस द्वारा जो मु.न. 48 के कि.न. 1 व मु.न. 49 के कि.न. 5 मे रास्ता का विकल्प होना तथा वैकल्पि रास्ता निकटतम एवं सुलभ बताया है, परन्तु उक्त वैकल्पिक रास्ता मे टयूबवैल व खाला बना होने के कारण रास्ता दिया जाना उचित नही मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वैकल्पिक रास्ता स्वीकृत नही किया गया। ऐसी स्थिति मे अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो मे वर्णित निकटतम रास्ता स्वीकृत किया जाना उपखण्ड अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण पश्चात व्यवहारिक नही माना जाकर अपीलाधीन आदेश से उचित रास्ता स्वीकृत किया है।

8. जहां तक अपीलांटस का रेस्पो0 के अनुतोष का प्रश्न है कि ''चक 2 पीपी के मुरब्बा नं. 49 मे आने जाने के लिये मुरब्बा नं. 50 के कि.न. 1 ता 5 के दक्षिणी दिशा मे रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष चाहा गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुरब्बा नं. 50 के कि.न. 1 ता 5 के उतरी दिशा मे रास्ता स्वीकृत किया है।'' अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तर्क के संबंध मे विस्तृत विवेचन करते हुए यह अंकित किया है कि प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे चाहा गया चक 2 पीपी के मु.न. 50 के कि.न. 1 ता 5 के दक्षिणी दिशा मे दिया जाना इसलिये उचित नही है, क्योंकि कि.न. 1 ता 5 के दक्षिणी दिशा मे रास्ता स्वीकृत किये जाने से अप्रार्थीगण की भूमि दो भागो मे बंट जायेगी व दूसरे मुरब्बो के काश्तकार भी रास्ता का उपयोग नही कर पायेगें। इसलिये तथ्यो एवं परिस्थितियों को देखते हुए चक 2 पीपी के मु.न. 50 के कि.न. 1 ता 5 के उतरी दिशा मे रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है।'' इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वैकल्पिक रास्ता जो कम दूरी पर स्थित है के संबंध मे एवं प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ता के संबंध मे विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए एवं स्वयं द्वारा किये गये मौके निरीक्षण के उपरांत समस्त परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया गया है जिसमे किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक एवं विधिक त्रुटि प्रतीत नही होने के कारण हस्तक्षेप किया जाना उचित नही होगा।

9. रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ संलग्न दस्तावेज अपीलांट महावीर द्वारा प्रस्तुत जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का प्रश्न है तो उक्त प्रार्थना पत्र मे प्रार्थी/अपीलांट महावीर द्वारा अंकित किया गया है कि उपखण्ड अधिकारी पदमपुर द्वारा जो अपीलाधीन आदेश दिया गया है उसमे प्रार्थी महावीर को रास्ता के बदले रास्ता मे आई भूमि प्रार्थी के चिपता प्रार्थीगण को दी जावे या संभव ना हो तो डीएलसी रेट से दुगनी राशि का भुगतान किया जावे। लेकिन तहसीलदार पदमपुर द्वारा बिना प्रार्थी महावीर की अनुमति लिये सीधा ही उक्त राशि अपने यहां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जल्दबाजी मे जमा करवा ली तथा तुरन्त ही रास्ता खुलवाने पर आमादा है। चक 2 पीपी के मु.न. 50 के कि.न. 1 ता 5 मे जहां रास्ता स्वीकृत किया है वहां प्रार्थी की फसल खडी है तथा रास्ता की जगह शीशम का पेड़ है उसको बिना उखाडे रास्ता चालू नही किया जा सकता है।'' उक्त प्रार्थना पत्र पर जिला कलैक्टर द्वारा रास्ता भूमि के बदले जमीन दिये जाने का आदेश दिया गया।

10. हस्तगत प्रकरण मे रास्ता भूमि के बदले जमीन दी जाने संभव है तथा जहां रास्ता की जगह मे शीशम का पेड़ होने का प्रश्न है तो रास्ता राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 2012 के नियम 70 (2) के प्रावधानो के अनुसार रास्ता मे प्रयुक्त होने वाली भूमि के मुआवजे के अतिरिक्त स्वीकृत किये गये रास्ते मे फसल या पेड़ आदि को हटाने के कारण होने वाले वास्तविक नुकसान की क्षतिपूर्ति के रूप मे मुआवजा की राशि का निर्धारण कर रास्ते की भूमि के खातेदार को दिलाया जाना आज्ञापक है। प्रस्तुत प्रकरण मे रास्ते मे प्रयुक्त भूमि क्षेत्र के मुआवजे के संबंध मे बराबर क्षेत्र की भूमि दिया जाना संभव नही होने की स्थिति मे डीएलसी रेट की दोगुणा राशि जमा करवाने हेतु आदेश किया है एवं शीशम के पेड़ के मुआवजे संबंधी कोई आदेश नही किया है। ऐसी स्थिति मे अपीलाधीन आदेश मे वर्णित मुआवजा संबधी आदेश मे संशोधन करते हुए रास्ता भूमि के ऐवज मे चिपती हुई भूमि आवेदक/रेस्पो0 सं. 1 व 2 द्वारा दिये जाने के साथ साथ रास्ता भूमि के मध्य मे स्थित शीशम के पेड़ को हटाने के कारण होने वाली क्षति की पूर्ति हेतु शीशम के पेड़ की कीमत का भुगतान तहसीलदार के माध्यम से किये जाने के आदेश दिये जाने उचित होने के कारण शीशम के पेड़ की कीमत का निर्धारण तहसीलदार एवं वन विभाग के रेंजर के स्तर के अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से मौके पर शीशम के पेड़ का निरीक्षण कर कीमत निर्धारण कर कीमत राशि अपीलांटस को दिलवाई जाने उचित है। यदि रेस्पो0 द्वारा मुआवजे के रूप मे डीएलसी रेट की दोगुणा राशि राजकोष मे जमा करवाई जा चुकी है तो रेस्पो0 को पुनः राशि लौटाई जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार को मुआवजा राशि लौटाने एवं शीशम के पेड़ की कीमत का भुगतान करने हेतु प्रेषित की जावें।

11. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.10.2017 मे वर्णित मुआवजा संबधी आदेश मे संशोधन करते हुए रास्ता भूमि के ऐवज मे चिपती हुई भूमि आवेदक/रेस्पो0 सं. 1 व 2 द्वारा दिये जाने के साथ साथ रास्ता भूमि के मध्य मे स्थित शीशम के पेड़ को हटाने के कारण होने वाली क्षति की पूर्ति हेतु शीशम के पेड़ की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कीमत का भुगतान तहसीलदार के माध्यम से किये जाने के आदेश दिये जाते है। शीशम के पेड़ की कीमत का निर्धारण तहसीलदार एवं वन विभाग के रेंजर के स्तर के अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से मौके पर शीशम के पेड़ का निरीक्षण आज दिनांक से 15 दिवस की अवधि मे करते हुए कीमत निर्धारण कर कीमत राशि अपीलांटस को दिलवाई जावें। यदि रेस्पो0 द्वारा मुआवजे के रूप मे डीएलसी रेट की दोगुणा राशि राजकोष मे जमा करवाई जा चुकी है तो रेस्पो0 को पुनः राशि लौटाई जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार को मुआवजा राशि लौटाने एवं शीशम के पेड़ की कीमत का भुगतान उक्त वर्णित अनुसार करने हेतु प्रेषित की जावें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.10.2017 मे वर्णित केवल मुआवजे संबंधी संशोधन करते हुए यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official